प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 09.08.2025

यातायात पुलिस द्वारा रक्षाबंधन पर बहनों की सुरक्षा का संकल्प

रक्षाबंधन पर भाइयों का कर्त्तव्य होता है, बहनों की रक्षा करना। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु पुलिस आयुक्त, महोदय के निर्देशन में रक्षाबंधन पर्व के शुभ अवसर पर सड़क सुरक्षा एवं बहनों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए यातायात पुलिस ग़ाज़ियाबाद द्वारा एक सराहनीय पहल की गई, जिसके अंतर्गत दो पहिया वाहन पर बिना हेलमेट धारण किये बहनों को रोककर यातायात पुलिस के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के द्वारा राखी बंधवाकर उनकी सुरक्षा हेतु हेलमेट प्रदान किये गए। इस कार्यक्रम के दौरान बहनों को कुल 600 हेलमेट प्रदान किए गए।

यह वितरण कार्यक्रम ग़ाज़ियाबाद के विभिन्न प्रमुख स्थानों यथा हापुड़ चुंगी, पुराना बस अड्डा, रिवर हाइट गोलचक्कर, मोहननगर एवं लाल कुआँ पर आयोजित किया गया, जिसमें अतिरिक्त पुलिस आयुक्त अपराध/कानून व्यवस्था, पुलिस उपायुक्त ग्रामीण, अपर पुलिस उपायुक्त यातायात, समस्त सहायक पुलिस आयुक्त यातायात, एवं सम्बंधित यातायात निरीक्षक गण उपस्थित रहे। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य बहनों की सुरक्षा के साथ साथ उनको सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करना तथा हेलमेट के अनिवार्य उपयोग को प्रोत्साहित करना।

अभियान के अंतर्गत बहनों को बताया गया कि हेलमेट उनकी सुरक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक है, और यह न केवल कानूनन आवश्यक है, बल्कि उनके जीवन की रक्षा के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है। **कार्यक्रम में रक्षाबंधन के अवसर पर भावनात्मक संदेश भी दिया गया कि "हर बहन सुरक्षित घर पहुँचे, यही यातायात पुलिस की कामना है।"**

यातायात पुलिस ग़ाज़ियाबाद निरंतर इस प्रकार के जन-जागरूकता अभियानों के माध्यम से नागरिकों को यातायात नियमों के पालन हेतु प्रेरित करती रही है, और आगे भी ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जाते रहेंगे।

निवेदन:

यातायात पुलिस ग़ाज़ियाबाद सभी नागरिकों से अपील करती है, कि वाहन चलाते समय सदैव हेलमेट का प्रयोग करें, नियंत्रित गति से चलें, तथा यातायात नियमों का पालन करें।

"सुरक्षित यात्रा, सुरक्षित जीवन – यही हमारा संकल्प है।"

सुरक्षित रहें - सुरक्षित चलें

थाना साइबर क्राइम, पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद द्वारा क्रिप्टो करेंसी में निवेश के नाम पर धोखाधडी करने वाले गैंग का सदस्य अभियुक्त गिरफ्तार, घटना में प्रयुक्त मोबाइल फोन बरामद ।

थाना साइबर क्राइम टीम द्वारा क्रिप्टो करेंसी में निवेश के नाम पर धोखाधडी करने वाले गैंग का सदस्य अभियुक्त विजय दलाल पुत्र सुरेश कुमार निवासी ग्राम कुम्भा थाना सदर हांसी जनपद हिसार हरियाणा को साइबर अपराध में प्रयुक्त मोबाइल फोन व व्हाट्सअप चैट के साथ थाना क्षेत्र कोतवाली नगर गाजियाबाद से गिरफ्तार किया गया ।

वादी श्री अंकित रस्तोगी पुत्र स्व0 श्री राधेश्याम रस्तोगी निवासी म0नं0 453, Fourth Floor, नीतिखण्ड 02 इन्दिरापुरम गाजियाबाद के साथ क्रिप्टो करेन्सी में निवेश कर मुनाफा कमाने के नाम पर साइबर फ्राड की घटना हुई, वादी मुकदमा को फेसबुक आईडी KIRAN.MEHTA514 से फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजकर व्हाट्सएप ग्रुप में जोड कर वेबसाइट https://coinex-vip2.com व Coinex-VIP2.com ऐप पर अकाउंट बनाकर, क्रिप्टो करेन्सी में निवेश के बहाने 26.02.2025 से 12.05.2025 तक कुल 1,82,68,090/- रुपये भिन्न भिन्न खातों में ट्रांसफर करा कर साइबर ठगी की गई। उक्त घटना के सम्बन्ध में वादी श्री अंकित रस्तोगी द्वारा दिनांक 18.07.2025 को थाना साइबर क्राइम पर अभियोग पंजीकृत कराया गया।

उक्त घटना में अभियुक्त सुमित जिन्दल को साइबर अपराध में प्रयुक्त मोबाइल फोन, एटीएम 04, 02चेकबुक, 05चेक, 02 मोहर, लाख रुपये 6 व व्हाट्सअप चैट के साथ दिनांक 19.07.2025 को गिरफ्तार किया गया था।

अभियुक्त सुमित जिन्दल से बरामद साक्ष्य के आधार पर यह ज्ञात हुआ था कि सुमित जिन्दल, विजय दलाल एवं हर्ष खत्री के साथ मिलकर बलजिन्द्र उर्फ अजय के लिये काम करते थे।

<u>पूछताछ का विवरण-</u>

अभियुक्त विजय दलाल ने पूछताछ पर बताया कि उनका एक गैंग है, इस गैंग के सदस्य लोगों को सोशल मीडिया प्लेटफार्म के जरिये व्हाट्सएप ग्रुपों में जोड़कर, लिंक भेजकर फर्जी शेयर ट्रेडिंग वेबसाइट https://coinex-vip2.com व Coinex-VIP2.com में अकाउन्ट खुलवाकर निवेश के बहाने भिन्न-2 खातों में रुपये ट्रांसफर कराकर साइबर फ्रॉड की घटना करते हैं।

पूछताछ पर आगे बताया कि चण्डीगढ़ में रहकर पढ़ाई के दौरान उसकी जान पहचान बलजिन्द्र उर्फ अजय से हुई थी। बलजिन्द्र उर्फ अजय ने उससे फ्रॉड के पैसे डलवाने के लिए खातों की डिटेल उपलब्ध कराने के लिए कहा था और उसे बताया था कि उन खातों मे फ्रॉड का जो भी पैसा आयेगा उसका 05 प्रतिशत कमीशन मिलेगा। विजय, हर्ष खत्री को पहले से जानता था और हर्ष खत्री ने ही उसे सुमित जिन्दल से मिलवाया था। सुमित जिन्दल के द्वारा विजय दलाल को खातों की डिटेल भेजी गई थी।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-</u>

1. **विजय दलाल पुत्र सुरेश कुमार निवासी ग्राम कुम्भा थाना सदर हांसी जनपद हिसार हरियाणा मो0नं0 8199928809 उम्र - 21 वर्ष, शिक्षा - स्नातक।**

<u>बरामदगी का विवरण</u> – घटना में प्रयुक्त 1 अदद मोबाइल फोन।

<u>गिरफ्तारी करने वाली टीम</u> - थाना साइबर क्राइम पुलिस टीम, कमिश्नरेट गाजियाबाद।

थाना साइबर क्राइम, पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद द्वारा साइबर फ्रॉड में लिप्त एक अभियुक्त गिरफ्तार, 01 पासबुक, 12 चैकबुक, 05 पैन कार्ड, 01 वोटर आईडी, 01 वाहन आर0सी0, 06 डेबिट/क्रेडिट कार्ड, 03 आधार कार्ड, 06 मोबाइल फोन, 01 पी0ओ0एस0 मशीन, 01 मोहर बरामद, थाना साइबर क्राइम गाजियाबाद के 02 अभियोगों का खुलासा।

श्री सुबोध त्यागी निवासी वी0वी0आई0पी0 राजनगर एक्सटेंशन गाजियाबाद के साथ शेयर ट्रेडिंग में निवेश कर मुनाफा कमाने के नाम पर साइबर फ्राड की घटना हुई, घटनाक्रम में रिया जायसवाल नाम की फेसबुक आईडी द्वारा दोस्ती कर व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ कर फर्जी एप में इन्वेस्ट करने के लिये प्रलोभित किया गया। घटना हेतु वेबसाइट https://www.gewegold.com//second पर शेयर ट्रेडिंग अकाउंट बनवाकर, शेयर ट्रेडिंग में निवेश के बहाने कुल 18,10,000/- रुपये की साइबर ठगी की गई।

थाना साइबर क्राइम टीम द्वारा इस साइबर फ्रॉड की घटना करने वाले गैंग के सदस्य अभियुक्त मोहित चौधरी पुत्र सुरेश चौधरी निवासी 32 2ND फ्लोर ब्लाक ई पोकेट 5 सेक्टर 16 रोहिणी नोर्थ ईस्ट दिल्ली 110085 हाल पता बी1 /46 ड्रीमबैली टेकजोन 4 थाना बिसरख ग्रेटर नोएडा गौतमबुध्द नगर को कूटरचित आधार कार्ड, पैन कार्ड तथा अन्य दस्तावेजों के साथ थाना क्षेत्र विजय नगर गाजियाबाद से गिरफ्तार किया गया।

<u>पूछताछ का विवरण-</u>

अभियुक्त मोहित चौधरी उर्फ हर्ष आदित्य उर्फ हर्ष मिश्रा ने पूछताछ पर बताया कि उनका एक गैंग है, जो कि सोशल मीडिया प्लेटफार्म के जरिये दोस्ती कर व्हाट्सएप ग्रुपों में जोड़कर, लिंक भेजकर फर्जी शेयर ट्रेडिंग वेबसाइट https://www.gewegold.com//second में अकाउन्ट खुलवाकर निवेश के बहाने साइबर फ्रॉड की घटना करते हैं।

अभियुक्त मोहित चौधरी ने बताया कि मोबाइल के व्यवसाय में घाटा होने पर अपने भाई मोनू उर्फ प्रशान्त चौधरी के साथ मिलकर अपने तथा अन्य लोगों के विभिन्न नामों से फर्जी आधार कार्ड व पैन कार्ड बनाकर तथा उसका उपयोग कर विभिन्न फर्मों के दस्तावेज बनाकर उसकी सहायता से करेन्ट अकाउंट खुलवाकर साइबर फ्रॉड करने वाले अपने गैंग के अन्य सदस्यों के साथ मिलकर घटना कारित करते थे। अभियुक्त मोहित चौधरी ने अपने विभिन्न नामों से कई कूटरचित आधार कार्ड, पैन कार्ड बनाये थे तथा उनका प्रयोग कर विभिन्न करेन्ट अकाउंट खुलवाये थे।

अभियुक्त मोहित और उसका भाई मोनू मिलकर अपने फर्जी आधार व पैन कार्ड बनवाकर उसी के आधार पर जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराकर करेन्ट एकाउन्ट खुलवाते थे जिसमें इनके दोस्त मनीष निवासी पंजाब ,आकाश व आशीष शामिल थे, मोहित और मोनू अपनी फर्जी आईडी पर बने खातें के क्रेडेन्शियल आशीष यादव को देते थे। आशीष यादव साइबर फ्राड के पैसे मोहित के द्वारा खुलवाये खातों में जमा करवाता था। मोहित व उसके भाई को ट्रांजेक्शन पर कमीशन मिलता था। खातों से पैसे निकाल कर आकाश के माध्यम से मोहित और मोनू आशीष को देते थे। आशीष यादव का बैंकाक से लिंक प्रकाश में आया है।

अभियुक्त मोहित चौधरी उर्फ हर्ष आदित्य उर्फ हर्ष मिश्रा के पास से बरामद साक्ष्यों के आधार पर श्री सुबोध त्यागी निवासी वी0वी0आई0पी0 राजनगर एक्सटेंशन गाजियाबाद के साथ शेयर ट्रेडिंग के नाम पर हुई साइबर धोखाधड़ी का घटना के अलावा दिनांक 06.11.2024 को श्री जितेन्द्र कुमार निवासी लुम्बनी अपार्टमेंट कौशाम्बी गाजियाबाद के साथ हुई 8,77,000 रुपये की शेयर ट्रेडिंग के नाम पर हुई साइबर धोखाधड़ी की घटना का भी खुलासा हुआ है। मोनू उर्फ प्रशान्त चौधरी, आकाश व आशीष यादव की तलाश की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-</u>

2. **मोहित चौधरी पुत्र सुरेश चौधरी निवासी 32 2ND फ्लोर ब्लाक ई पोकेट 5 सेक्टर 16 रोहिणी नोर्थ ईस्ट दिल्ली 110085 हाल पता बी1 /46 ड्रीमबैली टेकजोन 4 थाना बिसरख ग्रेटर नोएडा गौतमबुध्द नगर उम्र 28 वर्ष , शिक्षा-स्नातक।**

<u>बरामदगी का विवरण</u> – घटना में प्रयुक्त 01 पासबुक, 12 चैकबुक, 05 पैन कार्ड, 01 वोटर आईडी, 01 वाहन आर0सी0, 06 डेबिट/क्रेडिट कार्ड, 03 आधार कार्ड, 06 मोबाइल फोन, 01 पी0ओ0एस0 मशीन, 01 मोहर।

<u>गिरफ्तारी करने वाली टीम</u> - थाना साइबर क्राइम पुलिस टीम, कमिश्नरेट गाजियाबाद।

सहायक पुलिस आयुक्त वेव सिटी व थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की प्राप्त सूचना के आधार पर नकली पनीर बनाने वाली फैक्ट्री पर की गई कार्यवाही।

दिनांक 08.08.2025 को रात्रि विशेष सूत्रो के माध्यम से सूचना प्राप्त हुयी कि ग्राम डूण्डाहैडा मे शान्तिनगर जलप्लांट अंडरपास के पास रोड के किनारे हर्षित त्यागी नि0 डूण्डाहैडा थाना कॉसिंग रिपब्लिक के अधबनी दुकानो के पीछे साइड मे रजनीश त्यागी द्वारा नकली पनीर की फैक्ट्री चलाई जा रही है जिसमे कोई बोर्ड इत्यादि नही लगाया है। प्राप्त सूचना की पुष्टि हेतु थानाध्यक्ष क्रॉसिंग रिपब्लिक द्वारा सहायक पुलिस आयुक्त वेवसिटी को वस्तु-स्थिति से अवगत कराते हुये मय हमराह फोर्स के मौके पर जाकर चैक किया गया तो वहाँ पर स्वेतांक त्यागी पुत्र रजनीश त्यागी नि0 म0न0 568 गली न0 8 सैन विहार थाना

क्रॉसिंग रिपब्लिक गाजियाबाद अपनी लेवर के लगभग 5-6 लोगो के साथ मौजूद मिला, मौके पर ही सहायक पुलिस आयुक्त वेवसिटी भी पहुँची तथा उनकी मौजूदगी में उक्त स्थल को चैक करने पर वहाँ पर सोयाबीन के काफी कट्टे रखे हुये थे, कुछ सोयाबीन ड्रम में रखी हुयी थी जहाँ अनेको चूहे व छिपकलियाँ घूम रही थी एवम अपार गंदगी व्याप्त थी तथा सोया पनीर (टोफू) को पैकिंग करने वाले स्थान तथा क्रैटो मे भी चूहे घुम रहे थे एवम अपार गंदगी व्याप्त थी जिससे उक्त खाद्य पदार्थ स्वास्थ के लिये सर्वथा अपायकर परिलक्षित हो रहा था। चूंकि इस प्रकरण में खाद्य विभाग की सहभागिता आवश्यक है। अतः दूरभाष पर वार्ता कर CFSO को उनकी टीम सहित मौके पर बुलाया गया जिनके द्वारा उक्त निर्मित सोया पनीर के नमूने संग्रह किये गये साथ ही CFSO द्वारा अवगत कराया की इस स्थल पर किसी भी खाद्य पदार्थ के निर्माण हेतु कोई लाइसेंस नही है जो लाइसेंस स्वेतांक त्यागी द्वारा दिखाया गया, वह लाइसेसं साई गार्डन चिपियाना बुजुर्ग, डूण्डाहैडा हेतु बना है। जिससे स्पष्ट है कि लाइसेंस प्रदान किये जाने मे यह अनियमित्ता है कि साई गार्डन चिपियाना बुजुर्ग जनपद गौतमबुद्ध नगर का राजस्व ग्राम है एवम डूण्डाहैडा जनपद गाजियाबाद का राजस्व क्षेत्र मे आता है। परन्तु लाइसेंस जनपद गाजियाबाद से निर्गत हुआ है।

पूछताछ का विवरण–

स्वेतांक त्यागी द्वारा बताया गया कि हम इस सोयाबीन से सोया-पनीर बनाते है, सोयाबीन को भिगोने के बाद इसे पीस कर पनीर बनाकर बेच देते है।

कृत कार्यवाही-

खाद्य विभाग द्वारा उक्त अपायकर खाद्य साम्रगी के नमूने संग्रहित किये गये है। चूंकि उक्त अवैध फैक्ट्री संचालक द्वारा लाइसेंस की शर्तो का उल्लंघन किये जा रहा है एवम अन्यत्र स्थान के लाइसेंस को इस स्थल पर प्रस्तुत किया गया जिसके अवैध होने के कारण सम्बन्धित विभाग द्वारा उसके निरस्तीकरण की कार्यवाही अपेक्षित है। उक्त लाइसेंस मिल्क एवम डेयरी प्रोडक्ट्स हेतु निर्गत है जो दूध एवम दूध की वस्तुओ का निर्माण कर सकता है जबकि अवैध फैक्ट्री संचालक द्वारा सोयाबीन प्रोटक्टस का निर्माण एवम पैकेजिंग किया जाना पाया गया। इस सम्बन्ध मे खाद्य विभाग द्वारा सम्बन्धित को नोटिस निर्गत किया गया। खाद्य विभाग की परीक्षण रिपोर्ट व तहरीर प्राप्त होने पर वैधानिक कार्यवाही अमल मे लायी जायेगी।

कार्यवाही करने वाली टीम

थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक

CFSO टीम

थाना वेव सिटी पुलिस द्वारा दुष्कर्म के अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 07.08.2025 को थाना वेव सिटी पर वादी द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया कि अभियुक्त द्वारा वादी की नाबालिग बहन उम्र 17 वर्ष को अपने कमरे में व अन्य जगह साथ ले जाना, उसके साथ दुष्कर्म करना, गाली गलौज करना व जान से मारने की धमकी देना, जिसके सम्बन्ध में तत्काल थाना वेव सिटी पर धारा 64(2)(m)/352/351(3) BNS व 5l/6 पोक्सो एक्ट के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया।

तत्पश्चात आज दिनांक 09.08.2025 को थाना वेवसिटी पुलिस टीम द्वारा मैनुअल इनपुट के आधार पर उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त रिजवान पुत्र रफीक नि0 ग्राम सुदेशपुर थाना चण्डौस जनपद अलीगढ हाल पता उस्मान कालोनी डासना थाना वेवसिटी कमिश्नरेट गाजियाबाद उम्र 20 वर्ष को गिरफ्तार किया गया, अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः-

पूछताछ के दौरान अभियुक्त द्वारा बताया गया कि मैंने बहला-फुसलाकर इस लडकी से दोस्ती कर ली थी और मैंने इसी दोस्ती के झांसे में इसके साथ कई बार शारीरिक सम्बन्ध बनाये थे।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम/पता-

रिजवान पुत्र रफीक नि0 ग्राम सुदेशपुर थाना चण्डौस जनपद अलीगढ हाल पता उस्मान कालोनी डासना थाना वेवसिटी कमिश्नरेट गाजियाबाद उम्र 20 वर्ष

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग

अभियुक्त के विरूद्ध थाना वेवसिटी पर उपरोक्त प्रकरण के संबंध में 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली टीमः-

थाना वेव सिटी पुलिस टीम

थाना भोजपुर पुलिस द्वारा अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 07.08.2025 को थाना भोजपुर पर वादी द्वारा तहरीर दी गई कि अभियुक्त आर्यन, वादी की नाबालिग पुत्री उम्र करीब 17 वर्ष को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया है। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना भोजपुर पर तत्काल सुसंगत धारा 137(2) के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा पीडिता की बरामदगी व अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया।

तत्पश्चात आज दिनांक 09.08.2025 को थाना भोजपुर पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुये उक्त घटना को कारित करने वाले अभियुक्त आर्यन पुत्र सुरजीत निवासी मोहल्ला भूपेन्द्रपुरी गली न0 12/5 बीसफुटा रोड थाना मोदीनगर गाजियाबाद उम्र 21 वर्ष को डीएमई अन्डरपास के पास से गिरफ्तार किया गया तथा पीडिता को बरामद किया गया। पीडिता के बयानो के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 64(1),87 बीएनएस व ¾ पोस्को अधिनियम की वृद्धि की गई। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त ने पूछताछ के दौरान बताया कि मैं वादी की पुत्री को करीब 06 साल से जानता हूँ और तब से हमारी आपस में बातचीत भी है। एक दिन मैं मौका पाकर पीडिता को बहला-फुसलाकर नोएडा ले गया था तथा मैंने उसके शारीरिक संबंध बना लिए थे।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

आर्यन पुत्र सुरजीत निवासी मोहल्ला भूपेन्द्रपुरी गली न0 12/5 बीसफुटा रोड थाना मोदीनगर गाजियाबाद उम्र 21 वर्ष।

<u>आपराधिक इतिहास/ पंजीकृत अभियोग</u>

अभियुक्त के विरुद्ध उपरोक्त प्रकरण के संबंध में थाना भोजपुर पर 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

<u>गिरफ्तारी करने वाली टीम</u>–

थाना भोजपुर पुलिस टीम।